

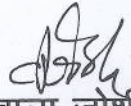
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/(जे-74/90)/अलेसे-III/1361-1373 दिनांक 24/4/2014

कार्यालय आदेश 522/2013-14

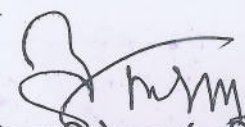
श्री जीवनराम चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार तत्कालीन कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर द्वारा दर्ज अपराध संख्या 172/06 में इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 13397-406 दिनांक 02.04.2014 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उक्त श्री जीवनराम चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त अजमेरको तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल के दौरान इन्हें राजस्थान सेवा नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कोषाधिकारी, बारां में किया जाता है, जहां वे नियमित उपस्थिति देंगे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/(जे-74/90)/अलेसे-III/1361-1373 दिनांक :- 21/4/2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा।
4. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त अजमेर।
5. कोषाधिकारी, बारां।
6. श्री जीवनराम चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त अजमेर।
7. उप निदेशक (ए.सी.पी.) (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)। (4589)
8. श्री महेन्द्र गोयल, लेखाकार, शाखा अलेसे-III।
9. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
10. पदस्थापन शाखा/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)